ISSN: 2582-7219

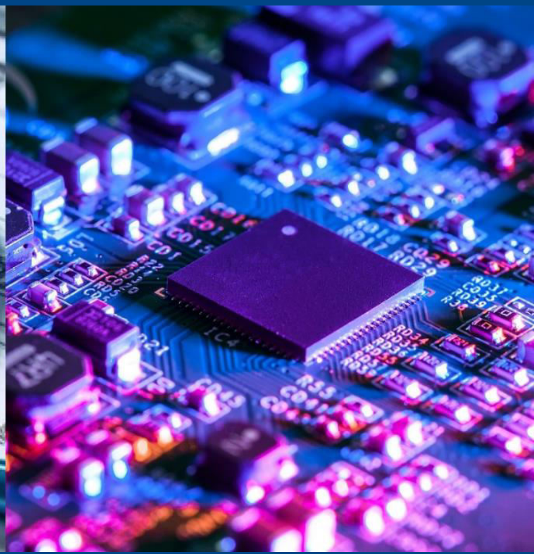

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

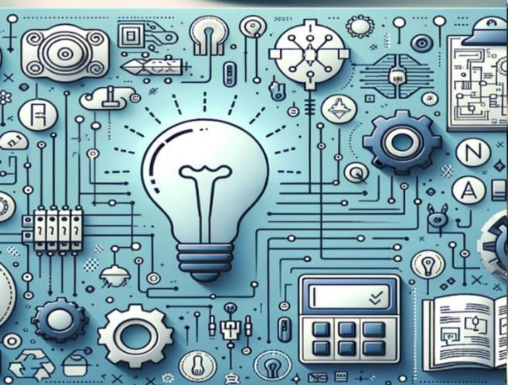

Impact Factor: 7.521

Volume 8, Issue 1, January 2025

www.ijmrset.com ijmrset@gmail.com +91 6381 907 438 +91 63819 07438

© 2025 IJMRSET | Volume 8, Issue 1, January 2025| DOI: 10.15680/IJMRSET.2025.0801056

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

भारत में राज्यों के पुनर्गठन में संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ – एक मूल्यांकन

शंकर दास

सहायक आचार्य – राजनीति विज्ञान

श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय, श्री डूंगरगढ़

सारांश

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, विशेषकर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से, एक ऐतिहासिक एवं जटिल प्रयास रहा है, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को प्राथमिकता दी। यह शोध पत्र इस प्रक्रिया में उभरी संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियों का मूल्यांकन करता है। संघीय स्तर पर, केन्द्र–राज्य संबंधों में तनाव, संसाधनों एवं सीमाओं को लेकर विवाद, तथा क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन की जटिलताएँ प्रमुख रहीं। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन ने सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया, परंतु इससे नए राज्यों में स्वायत्तता की माँगें और अंतर–राज्यीय प्रतिस्पर्धाएँ भी उत्पन्न हुईं। प्रशासनिक चुनौतियों में नवगठित राज्यों में संसाधनों का पुनर्वितरण, नौकरशाही का पुनर्गठन, अवसंरचना का विकास, और कानून–व्यवस्था का संक्रमणकालीन प्रबंधन शामिल रहा। ऐतिहासिक उदाहरणों (जैसे आंध्र प्रदेश, 1953) और समकालीन मामलों (जैसे तेलंगाना, 2014) के विश्लेषण से पता चलता है कि ये चुनौतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। शोध पत्र में ऐतिहासिक विश्लेषण, केस अध्ययन, और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है कि राज्य पुनर्गठन ने प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक अस्थिर समझौता किया।

मुख्य शब्द – राज्य पुनर्गठन, संघीय चुनौतियाँ, प्रशासनिक प्रबंधन, भाषाई राज्य

© 2025 IJMRSET | Volume 8, Issue 1, January 2025| DOI: 10.15680/IJMRSET.2025.0801056

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

प्रस्तावना :

''इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के क्षेत्रफल में राज्यों का क्षेत्र और केन्द्र शासित क्षेत्र सम्मिलित है। जम्मू–कश्मीर के अतिरिक्त किसी अन्य राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार एवं शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्षतः भारत का संविधान है। प्रत्येक इकाई राज्य का पृथक शासन है। आज भारत में 29 राज्य तथा 07 केन्द्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय इकाई राज्यों में एकरूपता नहीं है। संसद में भारत के राजनीतिक मानचित्र को परिवर्तित करने की अपूर्व शक्ति निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक संसद इस शक्ति का खुलकर प्रयोग किया है।'' (अवस्थी, 2013 पृ.428)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 01 यह प्राविधानित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संघ इन इकाईयों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इकाईयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। सन् 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संघ के पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक् स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात् अनुच्छेद 02 भारतीय संसद को उपयुक्त शर्तों के आधार पर किसी भी नये राज्य को संघ में सम्मिलित करने का या नये राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है। संसद सामान्य विधान द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद राज्यों की सहमति अथवा अनुमति के बिना भी उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु संविधान द्वारा अधिकृत है। यह संविधान संसद को किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 03 यह प्राविधानित करता है कि भारतीय संघ के नये राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से सम्बंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 03 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनु. 03 में उल्लेखित कानून निर्माण सम्बंधी प्रावधानों के अनुसार, तत्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधान मण्डल को निर्दिष्ट किया जायेगा। विधेयक भेजे जाने के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के सम्बंध में एक अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। ''राज्य द्वारा अभिव्यक्त किये गये मत को स्वीकार करने के लिये संसद बाध्य नहीं है। साथ ही संविधान द्वारा यह भी उपबंध किया गया है कि अनु0 02 और 03 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जायेंगे।'' (चन्द्रा, 2007 पृ0198. 199)

© 2025 IJMRSET | Volume 8, Issue 1, January 2025| DOI: 10.15680/IJMRSET.2025.0801056
ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|
International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)
(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

- राज्य पुनर्गठन की संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण
- केंद्र–राज्य संबंधों पर पुनर्गठन के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- नए राज्यों के गठन से जुड़ी जनाकांक्षाओं और राजनीतिक प्रेरणाओं का अध्ययन।
- नए राज्यों में प्रशासनिक ढाँचे के निर्माण, संसाधन प्रबंधन, और सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण।

आंकड़ों के स्रोत :

प्रस्तुत शोध–पत्र प्रमुख रूप से द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों की सहायता से तैयार किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन शैक्षणिक शोध पत्र, पुस्तकें, और समाचार पत्रों में प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेख। इतिहासकारों, प्रशासनिक अधिकारियों, और नीति निर्माताओं के साक्षात्कारध्वक्तव्य इत्यादि के माध्यम से आंकड़ों का संकलन कर जानकारी एकत्रित की गयी है।

रियासतों का मिश्रण :

रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिये सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक मंत्रालय बनाया गया। सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के अतिरिक्त सभी देशी रियासतें भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिये तैयार हो गई। बाद में जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर उस समय भारत में मिला लिया गया, जिस समय उसका शासक पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की रियासत को 'पुलिस कार्यवाही' के माध्यम से भारत में मिलाया गया और जम्मू–कश्मीर रियासत के शासक ने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। इन देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में सरदार बल्लभ भाई पटेल, वी.पी. मेनन और लार्ड माउन्टवेंटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ''सन् 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया– भाग–क, भाग–ख, भाग–ग, भाग–घ। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग–क में वे राज्य थे, जहाँ ब्रिटिश भारत में गर्वनर का शासन था। भाग–ख में 9 राज्य विधान मण्डल के साथ शाही शासन, भाग–ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग–ग में

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

राज्य (कुल 10) का केन्द्रीकृत प्रशासन था। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग–घ में रखा गया था।'' (लक्ष्मीकांत, 2015 पृ053)

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रान्तों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया।

- **'धर आयोग' का गठन** – स्वतंत्र भारत के अस्तित्व में आने के उपरान्त भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जोर पकड़ लिया जो स्वतंत्रता के पूर्व से ही उठी थी। क्योकि कांग्रेस 1920 के नागपुर प्रस्ताव के आधार पर इस माँग का समर्थन करती थी। इस दल ने तेलगू, कन्नड़ तथा मराठी भाषा जनता के दबाव में आकर राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को मान लिया तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की।
- **जे.वी.पी. समिति** – धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने और भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिये कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारम्मैया की एक समिति (जे.वी.पी. समिति) का गठन किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि जनता व्यापक रूप से इस माँग को उठाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जन भावना का सम्मान करते हुये इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। (जेवीपी आयोग की अनुशंसा)
- **फजल अली आयोग** – आन्ध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को (दिसम्बर 1953 में) एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिये विवश होना पड़ा। इसके अन्य दो सदस्य थे–के.एम.पाणिक्कर और एच.एन०. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिये चार बड़े कारकों की पहचान की जो की निम्न लिखित है–

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

1. देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण।
2. भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता।
3. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क
4. प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन

भारत में राज्य पुनर्गठन से जुड़ी प्रमुख संघीय चुनौतिया :

भारत की संघीय व्यवस्था एक जटिल एवं गतिशील ढाँचे पर आधारित है, जो विविधताओं के बीच एकता के सिद्धांत को साधने का प्रयास करती है। देश की आजादी के पश्चात् राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया ने भाषायी, सांस्कृतिक, और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों के गठन को नया आयाम दिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से भाषायी एकरूपता को प्राथमिकता देकर संघीय ढाँचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। परंतु, समय के साथ नए राज्यों के गठन की माँगों ने संघीय संबंधों में नई चुनौतियों को जन्म दिया है।

संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र को राज्यों के सीमाओं, नाम, और अस्तित्व में परिवर्तन का अधिकार देता है, परंतु यह प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक तनावों से ग्रस्त रही है। नए राज्यों के गठन से संसाधनों का वितरण, प्रशासनिक दक्षता, सीमा विवाद, और सांस्कृतिक पहचान का संघर्ष जैसे मुद्दे उभरते हैं। उदाहरणार्थ, तेलंगाना के गठन (2014) ने आंध्र प्रदेश के साथ अवसंरचनात्मक और वित्तीय साझाकरण को लेकर जटिलताएँ पैदा कीं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड जैसे राज्यों के निर्माण के बाद आदिवासी एवं क्षेत्रीय अस्मिता की माँगें केन्द्र–राज्य संबंधों की परीक्षा लेती रही हैं।

राज्य पुनर्गठन से जुड़ी संघीय चुनौतियाँ केवल प्रशासनिक पुर्नव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कसौटी भी हैं। विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बावजूद, संसाधनों की असमानता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता जैसे मुद्दे संघीय सहयोग को प्रभावित करते हैं। इन परिस्थितियों में, भारत का संघीय ढाँचा निरंतर एक गतिशील संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है–जहाँ विविधता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अखंडता को प्राथमिकता दी जाती है।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

प्रमुख संघीय चुनौतियों का विश्लेषण–

भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया कई जटिल चुनौतियों को जन्म देती है, जो केन्द्र–राज्य संबंधों, संसाधन वितरण, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। इन चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है–

- **संवैधानिक शक्तियों का असंतुलन –** संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को राज्यों के नाम, सीमाओं और अस्तित्व में परिवर्तन का अधिकार देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ, तेलंगाना के गठन (2014) के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा की असहमति के बावजूद केंद्र ने इसे अधिनियमित किया। यह शक्ति असंतुलन संघीय सहयोग के सिद्धांत को कमजोर करता है। पुनर्गठन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका सलाहकार मात्र होती है, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- **संसाधनों का असमान वितरण और आर्थिक विवाद –** नए राज्य के गठन के बाद प्राकृतिक संसाधनों (जल, खनिज), राजस्व, और अवसंरचना (राजधानी, सार्वजनिक संस्थान) के बँटवारे पर विवाद उत्पन्न होते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच हैदराबाद को लेकर चले दीर्घकालिक विवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त छोटे राज्य अक्सर केंद्रीय अनुदान पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता सीमित होती है।
- **प्रशासनिक और संस्थागत चुनौतियाँ –** नए राज्यों को प्रशासनिक ढाँचा (पुलिस, न्यायपालिका, नौकरशाही) खड़ा करने में समय और संसाधन लगते हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ (2000) को अपनी नौकरशाही विकसित करने में वर्षों लगे। पुनर्गठन के बाद सीमाओं को लेकर विवाद उभरते हैं, जैसे महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा पर बेलगावी (बेलगाम) विवाद।
- **सांस्कृतिक और भाषायी पहचान का संघर्ष –** नए राज्यों की माँग अक्सर सांस्कृतिक या भाषायी पहचान पर आधारित होती है, लेकिन यह अन्य समुदायों में असंतोष पैदा कर सकती है। उदाहरणार्थ, झारखंड (2000) के गठन के बाद आदिवासी और गैर–आदिवासी समूहों के बीच तनाव बढ़ा। कुछ मामलों में, पुनर्गठन से नई माँगें जन्म लेती हैं, जैसे गोरखालैंड (पश्चिम बंगाल) या बोडोलैंड (असम) की माँग।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

- **राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता की राजनीति –** कभी–कभी राज्यों का विभाजन राजनीतिक दलों के चुनावी हितों से प्रेरित होता है, न कि जनकल्याण से। उदाहरण के लिए, तेलंगाना आंदोलन में राजनीतिक दलों की भूमिका विवादास्पद रही। केंद्र सरकार की नीतियाँ कभी–कभी राज्यों की जनभावनाओं से मेल नहीं खातीं, जिससे विश्वास का संकट पैदा होता है।
- **राष्ट्रीय एकता बनाम क्षेत्रीय स्वायत्तता –** बार–बार राज्यों के विभाजन से राष्ट्रीय एकता को खतरा महसूस किया जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रवृत्ति ''अलगाववादी मानसिकता'' को बढ़ावा दे सकती है। भारत को विविधताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए संघीय ढाँचे में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी जटिलताएँ –** अक्सर राज्यों के बीच विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ता है, जैसे कावेरी जल विवाद या महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा मामला। अनुच्छेद 3 की व्याख्या और केंद्र–राज्य शक्ति संतुलन को लेकर कानूनी बहसें चलती रहती हैं।

भारत में राज्य पुनर्गठन से जुड़ी प्रमुख प्रशासनिक चुनौतिया :

भारत में राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया केवल राजनीतिक या सांस्कृतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रशासनिक उद्यम है जिसमें नए राज्य के संचालन के लिए समग्र प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण, संसाधनों का पुनर्वितरण, और पुराने एवं नए राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। यह प्रक्रिया अक्सर गहन प्रशासनिक चुनौतियों को जन्म देती है, जिनका सामना करने के लिए योजनाबद्ध नीतिगत हस्तक्षेप और कुशल संसाधन प्रबंधन आवश्यक होता है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से लेकर तेलंगाना (2014) के गठन तक, प्रत्येक पुनर्गठन ने प्रशासनिक दक्षता, संस्थागत स्थिरता, और जनसेवाओं की निरंतरता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। यह प्रस्तावना राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियों के विश्लेषण की पृष्ठभूमि तैयार करती है।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण –

इससे संबन्धित प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियाँ निम्न प्रकार है–

1. संस्थागत अवसंरचना का पुनर्निर्माण –

- **नई राजधानी और प्रशासनिक केंद्र–** नए राज्य को अपनी राजधानी, सचिवालय, और अन्य प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश को हैदराबाद (तेलंगाना) के बाद अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने में भारी वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन लगे।
- **पुलिस, न्यायपालिका, और नौकरशाही** –नए राज्य को अपनी न्यायिक व्यवस्था, पुलिस बल, और नौकरशाही खड़ी करनी होती है। छत्तीसगढ़ (2000) को प्रशासनिक अधिकारियों की कमी और प्रशिक्षण में देरी का सामना करना पड़ा।

2. मानव संसाधन का विभाजन और प्रबंधन –

- **कर्मचारियों का आवंटन** – पुराने और नए राज्य के बीच सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, और तकनीकी स्टाफ का बँटवारा अक्सर विवादास्पद होता है। तेलंगाना गठन के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कर्मचारियों के ''जन्मस्थान'' आधारित बँटवारे ने असंतोष पैदा किया।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** – नए राज्य को स्थानीय प्रशासनिक क्षमता विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे सेवाओं में व्यवधान आता है।

3. अंतर–राज्यीय प्रशासनिक विवाद –

- **सीमा और संपत्ति विवाद** – साझा अवसंरचना (बांध, सड़कें, सार्वजनिक भवन) और संसाधनों (जल, बिजली) के बँटवारे पर टकराव। उदाहरण– तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा–गोदावरी नदी जल बँटवारे को लेकर विवाद।
- **राजधानी शहर का साझा उपयोग** – हैदराबाद को 10 वर्षों तक संयुक्त राजधानी बनाए रखने का निर्णय प्रशासनिक समन्वय की जटिलता को दर्शाता है।

4. वित्तीय व्यवस्था और संसाधन आवंटन –

© 2025 IJMRSET | Volume 8, Issue 1, January 2025| DOI: 10.15680/IJMRSET.2025.0801056

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

- **बजट और राजस्व का विभाजन** – नए राज्य को अपने बजट की रूपरेखा तैयार करनी होती है, जबकि पुराना राज्य राजस्व हानि से जूझता है। झारखंड (2000) के गठन के बाद बिहार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।
- **केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता** – छोटे राज्य (जैसे उत्तराखंड) प्रारंभ में केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी नीति–निर्माण स्वायत्तता प्रभावित होती है।

5. सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता–

- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ** – नए राज्य में स्कूलों, अस्पतालों, और विश्वविद्यालयों की स्थापना में देरी से जनता को असुविधा होती है।
- **लोक कल्याण योजनाएँ** – पुनर्गठन के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन ठप्प हो सकता है, जैसे झारखंड में आदिवासी कल्याण योजनाओं में प्रारंभिक अव्यवस्था।

6. कानूनी और नियामक समायोजन –

- **मौजूदा कानूनों का अनुकूलन** – नए राज्य को पुराने राज्य के कानूनों को अपनाना या नए बनाना पड़ता है, जिसमें समय लगता है।
- **जमीन और रिकॉर्ड प्रबंधन** – भू–अभिलेखों का विभाजन और डिजिटलीकरण एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

7. समय और लागत की चुनौती –

- **दीर्घकालिक योजना का अभाव–** अक्सर पुनर्गठन राजनीतिक दबाव में जल्दबाजी में किया जाता है, जिससे प्रशासनिक तैयारी अधूरी रह जाती है।
- **वित्तीय बोझ– न**ए राज्य के गठन पर होने वाला खर्च (लगभग 20,000–30,000 करोड़ रुपये) केंद्र और राज्यों के बजट को प्रभावित करता है।

© 2025 IJMRSET | Volume 8, Issue 1, January 2025| DOI: 10.15680/IJMRSET.2025.0801056

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

निष्कर्ष :

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में प्रशासनिक चुनौतियाँ सबसे अधिक व्यावहारिक और तात्कालिक प्रभाव डालती हैं। इनके समाधान के लिए पूर्व–नियोजित रणनीति, तकनीकी विशेषज्ञता, और केंद्र–राज्य सहयोग आवश्यक है। साथ ही, जनता की आकांक्षाओं और प्रशासनिक व्यवहार्यता के बीच तालमेल बनाना भारतीय शासन व्यवस्था की सफलता की कुंजी है। राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया भारत के संघीय ढाँचे की गतिशीलता को दर्शाती है, लेकिन यह अनेक चुनौतियों को भी जन्म देती है। इनमें संवैधानिक शक्ति का केंद्रीकरण, आर्थिक विषमताएँ, सांस्कृतिक संघर्ष, और राजनीतिक हितों का टकराव प्रमुख हैं। भविष्य में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए पारदर्शी नीतियाँ, राज्यों की सक्रिय भागीदारी, और संघीय सहयोग आवश्यक है। साथ ही, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है।

Refrences:

(Hindi)

1. शर्मा, डा० जे.पी. (2000) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जयपुर, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृ. 360
2. चन्दा, कुमुद (2007) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, नई दिल्ली, स्पेक्ट्रम प्रा.लि. पृ.198–199
3. अवस्थी, डा. ए. पी. अवस्थी (2013) भारतीय शासन एवं राजनीति, आगरा,

(English)

6. Chandra, B. (2017). India since independence. Penguin Books.
7. Rajput, S. (1994). Role of Chief Minister in Adninistration, Radha Publication, NewDelhi
8. Sarkaria Commission**.** (1988). Report of the Commission on Centre-State Relations. Government of India Press.
9. Singh, M. P., & Roy, H. (2020). Federalism in India: Political and administrative challenges. Oxford University Press.
10. Srinivasulu, K**.** (2014). Telangana: A quest for regional identity and statehood. Economic & Political Weekly, 49(15), 58–65.

INTERNATIONAL JOURNAL OF

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com